मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-7

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 29, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 124 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 103 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(श्री जेबियर मेड़ा, सदस्य ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सुविधाओं संबंधी प्रश्न संख्या 14 (क्र. 2230) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में सड़कों की जर्जर हालत होने,
(2) श्री तुलसीराम सिलावट,सदस्य ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित करने,
(3) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने सागर से राहतगढ़ मार्ग के जर्जर होने,
(4) श्रीमती नीता पटैरिया, सदस्य ने सांझा चूल्हा भोजन योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ियों के बच्चों को नाश्ता न मिलने,
(5) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने रतलाम जिले में अवैध शराब की बिक्री होने,
(6) श्री माखनलाल राठौर, सदस्य ने शिवपुरी में यातायात नगर की स्थापना की जाने,
(7) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर हवाई अड्डे के पास अवैध कालोनियाँ काटी जाने,
(8) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने धार जिले में कृषकों द्वारा अवैध साहूकारों से महंगी दर पर ऋण लिये जाने तथा
(9) श्री रणवीर जाटव, सदस्य ने जिला भिण्ड के स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनियमितताएं की जाने,
संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने -
(क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई, 2011 तथा
(ख) दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2008-09 पटल पर रखे।

(2) श्री जयंत मलैया, पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 पटल पर रखा।

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा ने विभाग की अधिसूचना (क) दिनांक 31 मार्च, 2011, तथा (ख) शुद्धि पत्र दिनांक 2 जुलाई, 2011 पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में 2 से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 5 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है।

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह तथा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्यगण ने प्रदेश के अनेक जिलों में ऋण माफी योजना में अनियमितता होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति तथा यादवेन्द्र सिंह, सदस्यगण ने भिण्ड जिले के ग्राम चंदावली में सी.आई.एस.एफ. के जवान की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री मूल सिंह तथा शिवनारायण मीना, सदस्यगण ने गुना जिले के संजय सागर बांध के वेस्ट वीयर एवं नदी के मध्य वन भूमि पर बसे परिवारों को हटाये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री राधेश्याम पाटीदार, सदस्य ने मंदसौर जिले में उपभोक्ताओं को बिजली के गलत बिल दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, सदस्य ने भिण्ड जिले में चयनित पटवारियों की सूची में अनियमितता होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, रतलाम जिले के -

- (क) शहर के काटजू नगर में मुख्य मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
- (ख) शहर के जवाहर नगर में ट्यूबवेल खनन किये जाने,
- (ग) ग्राम भुतेड़ा में पशु चिकित्सालय खोले जाने, तथा
- (घ) करमदी ग्राम से मथुरी तक सड़क मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

(2) श्रीमती उमा देवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के -

- (क) ग्राम बनवार में आदिवासी छात्रावास निर्माण किये जाने, तथा
- (ख) ग्राम रजपुरा में स्टाप डेम निर्माण किये जाने,

(3) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगौन जिले के -

- (क) ग्राम बेड़िया में वन विभाग के कार्यालय के स्थान पर बस स्टैण्ड निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम बेड़िया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने,
- (ग) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का खेल मैदान एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किये जाने, तथा
- (घ) ग्राम बेड़िया के पास स्थित लछोरा तालाब को इन्दिरा सागर नहर से भरे जाने,

(4) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य, बालाघाट जिले के -

- (क) ग्राम पंचायत अमेड़ा, पूर्वा टोला, सहेकी के भवनों का निर्माण किये जाने, तथा
- (ख) ग्राम पंचायत सिहोरा बवकर, पाला, बगड़मारा, बड़गाँव के भवनों का निर्माण किये जाने,

(5) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

- (क) ग्राम बरेठ की कन्या प्राथमिक शाला का उन्नयन किये जाने,
- (ख) ग्राम भोजपुर की कन्या प्राथमिक शाला का उन्नयन किये जाने, तथा
- (ग) ग्राम भुमरिया की प्राथमिक कन्या शाला का उन्नयन किये जाने,

(6) श्री राजेन्द्र फूलचंद्र वर्मा, सदस्य, देवास जिले के -

(क) ग्राम गागरनिया का विद्युतीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम भौरासा की नगर पंचायत का भवन निर्माण किये जाने, तथा

(ग) सोनकच्छ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को एम्बूलेंस प्रदाय किये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

6. वक्तव्य

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने दिनांक 18 मार्च, 2011 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 92 (क्रमांक 5891) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

(अपराह्न 1.08 से 3.05 बजे तक अन्तराल)
उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 25 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 27 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(2) श्री राधेश्याम पाटीदार
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(5) श्री भैयाराम पटेल
(6) श्री ओमप्रकाश सकलेचा
(7) डॉ. प्रभुराम चौधरी

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(5) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत

(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(6) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल

(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

अपराह्न 4.59 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 30, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 20 जुलाई, 2011